

दिव्याभिमंक प्रैस्ट

वर्ष : 5, अंक : 26

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 19 फरवरी से 25 फरवरी 2020

पेज : 4 कीमत : 3 रुपये


वायु प्रदूषण-2 भारत को दूसरे देशों से सीखना होगा

डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ-लांसेट आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते हर साल करीब 38 लाख लोगों की मौत हो जाती है। भारत में इसका व्यापक असर है। इसके कारणों और उसके समाधान को लेकर डाउन टू अर्थ ने रिपोर्ट्स की एक सीरीज शुरू की है। पहली कड़ी में आपने पढ़ा कि छोटे शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रस्तुत है, दूसरी कड़ी-

तुनियाभर में सरकारें इस चुनौती का जवाब ढूँढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीमापार वायु प्रदूषण के संबंध में अंतर-सरकारी संधियां और करार किए गए हैं जैसे कर्नेंशन ऑन लॉन्ज-रेज ट्रांसबाउंडी एयर पॉल्यूशन। लेकिन अब यह समझ भी पैदा हो रही है कि देशों के भीतर अंतर-क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय रणनीतियों तथा कार्यक्रमों की जरूरत है खासतौर पर उन देशों में जो बड़े इलाके में फैले हुए हैं। यह दृष्टिकोण चीन, यूरोप और अमेरिका में अपनाया जा रहा है और इससे सीखने की जरूरत है।

चीन-वायु प्रदूषण देश में एक बड़ी समस्या है, ऐसे में इसने एशियाई देशों की रहनुमाई करते हुए अधिक अनुकूल क्षेत्रीय विनियामक और निगरानी दृष्टिकोण अपनाया है। पेइचिंग में सरकार ने एकीकृत आयोजना, निगरानी और चेतावनी देने संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अनेक संक्रामक क्षेत्रों में साझा मानदंडों का निर्माण भी शामिल है। वर्ष 2017 में पेइचिंग और तियानिन शहरों तथा हेनान, हेबेई, शेनडोंग और शांकपी प्रांतों के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई गई। इसने तथाकथित 2+26 शहरों को अपनी औसत पीएम 2.5 सघनता कम करने तथा पिछले वर्ष के मुकाबले प्रदूषित दिनों की संख्या में 15 प्रतिशत से अधिक की कटौती करने को कहा। इस संयुक्त क्षेत्र ने अत्यधिक प्रदूषण के खिलाफ अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में सुधार किया है ताकि प्रयोक्ता चेतावनी के दौरान उत्सर्जन में कमी के लिए एकसमान चेतावनी तंत्र बनाया जा सके।

आखिरकार, इन कदमों से संयुक्त निगरानी और निरीक्षण तंत्र का निर्माण हुआ। वर्ष 2017 के अंत तक पेइचिंग पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण टीम को अनहुई, फूजियान, गुजरात, हुनान, लिओनिंग और शांकसी समेत 15 प्रांतों (स्वायत्र क्षेत्र और नगर निगम) के लिए उत्तराधीय बनाया गया। बाद में हैनान, जिलिन, किंग्याई स्वायत्र क्षेत्र, सिचुआन, शेनडोंग, तिब्बत स्वायत्र क्षेत्र,



शिंजिआंग स्वायत्र क्षेत्र और झेजिआंग समेत आठ और प्रांतों तथा क्षेत्रों को इस प्रणाली में शामिल किया गया। कोयले के उपभोग को कम करने, क्षेत्र के स्रोतों का प्रबंधन करने और औद्योगिक संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए आपसी सहमति के साथ कार्य योजना बनाई गई व लागू की गई। इन क्षेत्रों में संयुक्त कार्य योजना के उल्लंघन को दूर किया गया। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों द्वारा निगरानी, निरीक्षण और कानून लागू करने के लिए प्रबंधन और जवाबदेही प्रणाली में सुधार किया गया है। यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर पेइचिंग स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के जरिए वायु प्रदूषण के स्तर को 2012 के स्तर से 40 प्रतिशत तक कम करने में कामयाब रहा।

यूरोप-इतिहास पर नजर डालें तो यूरोप ने अंतरराष्ट्रीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1979 में अपनाए गए कर्नेंशन ऑन लॉन्ज-रेज ट्रांसबाउंडी एयर पॉल्यूशन (एयर कर्नेंशन के नाम से प्रचलित) के तहत साथ मिलकर काम किया है। इस कर्नेंशन के तहत किए गए करार गैर बाध्यकारी, समर्थकारी और लचीते तंत्र पर आधारित हैं। हालांकि उत्तराधीय, सदस्य देश विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्बाई करने के लिए विनियामक साधनों की संभावनाएं तलाशने लगे। सदस्य राज्यों से इस तरह के क्षेत्रों और सीमाओं में हवा की

गुणवत्ता सुनिश्चित करने की उमीद की जाती है। जो देश इन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन पर यूरोपीय आयोग द्वारा वायु गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया जाता है।

संयुक्त राज्य-संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यूएसईपीए) के पास वायु प्रदूषण संबंधी स्पष्ट अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नियम हैं। यूएसईपीए के नियामक दस्तावेजों की समीक्षा से पता चलता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए यूएस स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। अधिनियम में सख्ती से यह अपेक्षा की गई है कि एक राज्य का उत्सर्जन हवा के जरिए दूसरे राज्यों में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण न बने, खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में जो एजेंसी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। इस अच्छे पड़ोसी प्रावधान के अनुसार, यदि कोई राज्य वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक योजना विकसित करने में विफल रहता है, तो एजेंसी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है और उत्सर्जन में कमी के लिए एक संघीय योजना को लागू कर सकती है। औजोन और सूक्ष्म कणों से संबंधित अच्छे पड़ोसी प्रावधानों में डाउन-विंड एयर क्लाइटी समस्याओं की पहचान, अप-विंड राज्यों की पहचान करना शामिल है।

अप-विंड राज्यों को डाउन-विंड वायु गुणवत्ता समस्याओं में बढ़ाती करने से रोकने के लिए उत्सर्जन में आवश्यक कटौती की पहचान करना और इस उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थायी और प्रवर्तनीय उपायों को अपनाना अपेक्षित है। यह अधिनियम राज्यों को यह अधिकार भी देता है कि वे यूएसईपीए को अप-विंड क्षेत्रों में प्रदूषण के विशिष्ट स्रोतों के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करने के लिए कहें। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अप-विंड क्षेत्रों की आवश्यकता के संबंध में यूएसईपीए के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। अंतरराज्यीय आयोग वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूरी तरह के साथ जमीनी स्तर के ओजोन को कम करने के लिए मेन से वर्जनिया तक राज्य सरकारें यूएसईपीए के साथ मिलकर काम कर रही हैं। यहां तक कि वायु की गुणवत्ता की निगरानी में भी क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

अनुमान है कि सदी के अंत तक प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ्स) दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। जबकि अगले 20 वर्षों में ही इसकी 70 से 90 फीसदी आबादी के खत्म हो जाने का अनुमान है। वैज्ञानिकों इसके लिए दिन प्रतिदिन जलवायु में आ रहे बदलाव, प्रदूषण और समुद्रों में बढ़ रहे अम्लीकरण को बड़ी वजह मान रहे हैं। यह हैरान कर देने वाली जानकारी सैन डिएगो में चल रही ओसियन साइंस मीटिंग 2020 में प्रस्तुत किये नए शोध से पता चली है।

अगले 20 सालों में लुप्त हो जाएंगे 90 फीसदी कोरल रीफ्स



साथ ही, शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि इन क्षेत्रों की बहाली के लिए चलायी जा रही परियोजनाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक समूह कृत्रिम रूप से उगाई गयी प्रवाल भित्तियों को को मृत भित्तियों में प्रत्यारोपित करके इस गिरावट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन युवा कोरल रीफ की मदद से प्रवाल भित्तियों को उनकी स्वस्थ स्थिति में वापस लाया जा सकता है। इसके बावजूद उनका मानना है कि दुनिया में कई जगह पर प्रवाल भित्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी और अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ पाएंगी। वो इनकी बहाली में बाधा डालने के लिए समुद्री सतह के तापमान, अम्लीकरण को एक बड़ी वजह मान रहे हैं। जिसके चलते इनकी बहाली नहीं हो पा रही है।

शोधकर्ताओं के अनुसार यह सच है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के चलते कई समुद्री जीवों पर बुरा असर पड़ रहा है। पर इसका सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव प्रवाल भित्तियों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही ग्रीनहाउस गैसों के लगातार बढ़ रहे उत्सर्जन से उनके आवास पर कहीं ज्यादा असर पड़ रहा है। इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी

ऑफ हवाई के बायोज्योग्राफर रेनी सेटर ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम और समुद्री तटों को साफ करने के लिए किये जा रहे प्रयास कबीले तारीफ हैं। पर इन सबके बावजूद क्लाइमेट चेंज पर काम करना जरूरी है। बिना इसके इन कोरलस्स को बचाया नहीं जा सकता।

दुनिया भर में आम बात हो गयी है कोरल ब्लीचिंग

समुद्र में बढ़ते तापमान के चलते दुनिया भर में कोरल अनिश्चिताताओं का सामना कर रहे हैं। पानी में बढ़ रही गर्मी से मूँगे पर जोर पड़ता है, जिससे उनके अंदर रहने वाले सहजीवी शैवाल उनसे बाहर निकल जाते हैं। इसके चलते आमतौर पर रंग बिरंगे दिखने वाले कोरल सफेद रंग में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहा जाता है। हालांकि यह सफेद कोरल मृत नहीं होते। लेकिन उनके मरने की सम्भावना सबसे अधिक होती है। आज जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में ब्लीचिंग की यह घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं।

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उन स्थानों का भी पता लगाने की कोशिश की है, जहाँ इन कोरलस की बहाली की जा सकती है। उन्होंने उन स्थानों पर प्रदूषण, बढ़ते अम्लीकरण, तापमान में आ रही

बढ़तरी, अधिक मात्रा में मछली पकड़ना आदि कारकों का विश्लेषण किया है। साथ ही उन्होंने तटों के पास जनसंख्या के घनत्व, भूमि उपयोग और मछली पकड़ने से होने वाले वेस्ट का भी अंकलन किया है। जिसके अनुसार आज समुद्र के अधिकांश हिस्सों में जहाँ प्रवाल भित्तियां मौजूद हैं वो 2045 तक कोरल के लिए उपयुक्त नहीं रह जायेंगे। जबकि सदी के अंत तक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। उनके अनुसार बढ़ता तापमान और अम्लीकरण ही इन प्रवालों के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि मनुष्य द्वारा किया जा रहे प्रदूषण और उसमें हो रही वृद्धि सीधे तौर पर इनके आवास पर बड़ा थोड़ा असर डालेगी, क्योंकि मानव पहले ही इनको इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि उनके और अधिक प्रभावित होने की युंजाइश नहीं बची है।

यदि हमें इन प्रवाल भित्तियों को बचाना है जोकि हमारे इकोसिस्टम का एक बड़ा ही अहम हिस्सा हैं तो हमें दिन प्रतिदिन बढ़ रहे उत्सर्जन पर लागाम लगानी होगी। क्योंकि दुनिया के कई खूबसूरत द्वीप और देश इन्ही प्रवाल भित्तियों पर बसे हैं और यदि यह नष्ट होती हैं तो उनका अस्तित्व भी संकट में आ जायेगा।



झारखंड में बेमौत मर रहे हैं पक्षी, 15 दिन बाद पता चलेगा कारण

बीते एक महीने में झारखंड में कई जगहों पर पक्षियों की मौत हो रही है। खुंटी, लातेहार, पलामू, लोहरदारा सहित कई अन्य जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक शिकार कौए हो रहे हैं। खुंटी में बीते सात पांच फरवरी को 50 से अधिक कौए मरे पाए गए थे। चार फरवरी को पलामू टाइगर रिजर्व में दुलभ प्रजाति के दो हरियाल पक्षी की मौत हो गई थी। यहीं पर इससे पहले मैना, चील, तीतर, बगुला सहित कई अन्य पक्षियों की मौत हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के निदेशक यतींद्र कुमार दास ने कहा कि दो हरियाल की मौत हुई है, किन कारणों से हुई यह पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके अलावा अन्य पक्षियों की मौत पीटीआर में तो नहीं हुई है। इसलिए किसी तरह की जांच के लिए सैंपल नहीं भेजा गया है।

इसके अलावा लोहरदारा में बड़ी संख्या में कौआ, कोयल और चमगाड़ की मौत हुई है। कुदू प्रखंड में सोमवार को पशु चिकित्सकों की एक टीम जांच के लिए पहुंची। पशुपालन अधिकारी डॉ सुशील तिगा ने बताया कि गांवों से मुर्गी और बत्तख फार्म से ब्लड, क्लोएका और गले के स्वाब का सैंपल लिया गया है। उसे जांच के लिए रांची के पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान भेजा गया है।

उहोंने यह भी कहा कि फिलहाल खाने में जहर या फिर मौसम में तेजी से बदलाव इसका कारण नजर आ रहा है। क्योंकि दिन को गर्मी और रात को बहुत अधिक ठंड होने से पक्षियां सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हैं। वहीं इंडिया बर्ड कंजवेशन नेटवर्क के झारखंड कॉर्डेनेटर सत्यप्रकाश का कहना है कि उहें बर्ड फ्लू की आशंका लग रही है, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसका असर फैल चुका है।

लातेहार में लोगों ने खेतों में, सड़कों पर, घरों के आगे मरे हुए कौए देखे हैं। अभी तक अधिकारियों ने बर्ड फ्लू की आशंका से इंकार किया है। लातेहार के जिला पशुपालन अधिकारी आरएस राम ने बताया कि सैंपल जमा किया गया है। लेकिन अभी तक जांच के लिए नहीं भेजा गया है। हालांकि रांची में अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

खुंटी जिला कोर्ट परिसर में बीते 28 जनवरी को दर्जनों कौए मरे गए थे। जिला पशुपालन पदाधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि हमने जो सैंपल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन को भेजा था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहाँ की एक टीम 17 फरवरी को खुद जांच करने आई थी और सैंपल लेकर गई है। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ दयानन्द ने कहा कि 15 दिन बाद ही रिपोर्ट आएगी।

सच में प्लास्टिक से मुक्ति चाहते हैं तो अपनानी होंगी ये तरकीबे

2 अक्टूबर, 2019 को प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका मकसद प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि इसके पुनर्वर्कण के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसका प्रचार-प्रसार करना था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देशों के



दूसरा, हमें प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर देने की जरूरत है जिसका ध्यान पृथक्करण, एकत्रीकरण और पुनर्वर्कण पर केंद्रित हो। वर्तमान में अधिकांश नगर निगम प्लास्टिक कचरे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मौजूदा विनियमों को कार्यान्वित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में, एनजीओ, सीएसआर फंड और निजी कंपनियों, कार्यकर्ताओं की पहलों और विशेष रूप से, कचरा उठाने वाले साधन संपत्र क्षेत्र ने इस समस्या को दूर करने में मदद की है। लेकिन यह काफी नहीं है।

पृथक्करण प्रोत्साहन मॉडल पर ध्यान देने वाली बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली दीर्घकालीन प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। यदि शहरों में कचरे को तीन हिस्सों गोला, सूखा और घरेलू हानिकारक में बांटा जाए और यदि नगरपालिकाएं सामग्री रिकवरी केंद्र या वर्गीकरण केंद्र जैसी अवसरचना का निर्माण करें तो सूखे कचरे को कई हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे सूखे कचरे का मूल्य बाजार बढ़ेगा तथा यह नालियों में नहीं जाएगा। हमें कचरे को मूलस्थान पर ही पूरी तरह से अलग करना होगा। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में घरों में अलग किया गया कचरा 17 ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केंद्रों पर लाया जाता है। यहां सूखे कचरे को पुर्ण 155 हिस्सों में बांटा जाता है और पुनर्वर्कण के लिए भेजा जाता है। हमारे पास पणजी, त्रिची, मैसूर, पंचगनी, वेनगुरला, कर्जत, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर काफी निवेश किया है। इन शहरों में सूखा कचरा चुनौती नहीं है बल्कि संसाधन है।

तीसरा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। ईपीआर के तहत उत्पादकों को उत्पाद का प्रबंधन और डिस्पोजल करना होता है। सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि ईपीआर में कोई-सी वस्तुएं शामिल होंगी। इसमें वे सभी उत्पाद, प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता और वे तुरंत कचरे में चली जाती हैं जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक (एमएलपी), प्लास्टिक बोतल, दूध के पातच, सैशे आदि। वर्तमान में, कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे यूएलबी के साथ काम करें और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदूर करें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने ट्रेडिंग या ऑफसेट तंत्र का प्रस्ताव किया है जिसके जरिए वे कंपनियां प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए ऋण हासिल कर सकती हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निगमों की सहायता करती हैं। इस तंत्र के तहत, एकत्रित, पुनर्वर्कित प्लास्टिक को कंपनी के ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने में शामिल माना जाएगा।

सबसे पहले हमें सिंगल यूज प्लास्टिक की सूची बनानी होगी और ऐसे परिभाषित करना होगा। सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले एसयूपी वस्तुओं की पहचान करना अहम है और इन पर प्रतिबंध लगाने से पहले इनके प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही, यह समझना जरूरी है कि प्लास्टिक की थैलियां ही दूषित करने वाली सबसे प्रमुख एसयूपी नहीं हैं। मिट्टी की पत्तियां, अनेक परतों वाली पैकेजिंग वस्तुएं, स्ट्रॉट और स्टर्स, डिस्पोजेल बर्टन तथा स्टायरोफोम जैसी वस्तुएं कुछ सामान्य एसयूपी हैं जो कचरे का बड़ा कारण है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एसयूपी को परिभाषित करने की जरूरत है।

साथ ही राष्ट्रीय कार्य योजना व दिशा-निर्देशों की जरूरत है जो तात्कालिकता के संदर्भ में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लागू करने पर ध्यान दे। इसका अर्थ है कि उन उत्पादों को पहले हटाया जाए जिनका विकल्प है, जिनका नहीं है उहें बाद में हटाया जाए। साथ ही विकल्पों और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए निवेश किया जाए।

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर सरकारें बेसुध, पूर्क सकता है 2022 का लक्ष्य

टॉक्सिक लिंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट का नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक - द लास्ट स्ट्रॉंग। सर्वे और विश्लेषण वाली इस रिपोर्ट में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को लेकर 14 फीसदी लोगों ने कहा कि वे हर बक्त इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि 17 फीसदी ने कहा कि वे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। इसी तरह 37 फीसदी ने कहा कि यदा-कदा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं वहीं 32 फीसदी ने जवाब दिया कि वे लगातार प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में यह बात भी सामने आई कि महिलाओं (15 फीसदी) के मुकाबले पुरुष ज्यादा (19 फीसदी) प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लोग प्लास्टिक के खतरों को पहचानना शुरू कर चुके हैं हालांकि उनके बीच सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर तमाम भ्रातियां भी मौजूद हैं। सर्वे में पाया गया कि अधिकांश लोग पानी की बोतलों और स्ट्रॉ को सिंगल यूज प्लास्टिक ही नहीं मानते। इसके अलावा जवाब देने वालों में केवल 57 फीसदी लोग ही ऐसे थे जो प्लास्टिक कैरी बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक मानते थे। टॉक्सिक लिंक के मुताबिक महिला-पुरुष और विभिन्न आयु समूह के एक हजार से ज्यादा लोगों से फौल्ड सर्वे में प्लास्टिक के इस्तेमाल से संबंधित जवाब जुटाए गए।

प्रदूषण का सबसे बड़े कारणों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) की पहचान हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक में 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग अत्यधिक चिंता का विषय हैं। क्योंकि काफी हल्के होने के कारण ये यत्र-तत्र मौजूद हैं और न तो इन्हें एकात्रित किया जाता है और न ही इनका रिसाइक्ल संभव है। यह ड्रेनेज को चोक करने से लेकर समुद्रों के प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फूड बेवरेज इंडस्ट्री, आवासीय सुविधाएं, यात्रा और पर्यटन, एफएमसीजी, ई-कॉमर्स रिटेल, निकोटीन इंडस्ट्री, एल्कोहॉल बेवरेज इंडस्ट्री सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रमुख

भारत में 28 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से या फिर आशिक तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि यह प्रतिबंध काम नहीं कर रहा है और नियम-कायदे कागजों पर ही सिमटे हैं। गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक के ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे के मुताबिक 453 भागीदारों में 83 फीसदी ने कहा है कि वे प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सर्वे में यह स्पष्ट नहीं है कि इस्तेमाल करने वाले लोग 50 माइक्रोन (हल्की थैलियां) से कम या फिर ज्यादा माइक्रोन वाली प्लास्टिक थैलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्लास्टिक थैलियों को प्राथमिक तौर पर प्रतिबंधित किया जाना था।



स्रोत हैं।

इनके विकल्प के तौर पर ग्रॉलास, मेरल, जूट, कपड़े, पेपर, बांस, पत्तियां व अन्य विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, इनके खतरे हैं।

सीपीसीबी की 2018-19 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष करीब 36 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें से महज 60 फीसदी ही रिसाइक्ल होता है। प्लास्टिक रेग्युलेशन को लेकर भी भारत में अमल काफी कम है। भले ही भारत में प्लास्टिक का उपभोग ज्यादा होता है लेकिन प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपभोग काफी कम है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष प्लास्टिक उपभोग 11

किलोग्राम है जबकि अमेरिका में प्रतिवर्ष प्लास्टिक उपभोग 109 किलोग्राम है। यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 38 किलोग्राम, ब्राजील में 35 किलोग्राम है।

प्रतिबंध क्यों नहीं प्रभावी हैं इस पर टॉक्सिक लिंक की मुख्य कार्यक्रम समन्वयक प्रीति महेश कहती हैं कि नियमों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। प्लास्टिक थैली को हतोत्साहित किए जाने को लेकर पर्यास जागरूकता भी नहीं फैलाई

गई।

प्लास्टिक थैलियां के विकल्प मौजूद हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया। सर्वे के दौरान जवाब देने वालों में इनके प्रति रुझान भी दिखाई दिया। मसलन सर्वे में पाया गया कि प्लास्टिक थैलों के बजाए कपड़ों के थैलों और बायो-प्लास्टिक बैग को 59 फीसदी भागीदारों ने पसंद किया गया है। वहीं सर्वे में हिस्सेदारी करने वाले 95 फीसदी लोगों ने कहा कि वे सिंगल यूज वाले कटलरी पर प्रतिबंध चाहते हैं। वहीं, 32 फीसदी ने कहा कि वे पत्ती वाले कटलरी को वापस चाहते हैं। प्रीति महेश ने कहा कि सरकार के पास विकल्प है कि वह इस पर कदम बढ़ाए क्योंकि लोगों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के प्रति रुझान है।

संस्था ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों में कहा है कि रिसाइक्लिंग भी बेहतर समाधान नहीं है। टिक्की कलां, गाजीपुर, नांगलाई और अन्य जगहों पर रिसाइक्लिंग बाजार के सर्वे के बाद कहा कि स्थिति काफी खराब है। आर्थिक पहलू के चलते मल्टीलेयर पैकेजिंग के प्लास्टिक को कोई लेना नहीं चाहता। एफएमसीजी उत्पादों में मल्टीलेयर पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है। बेहद पतली प्लास्टिक की कई लेयर उत्पादों के डिब्बों पर चिपकाई जाती हैं। वहीं, यह कचरा कहां रिसाइक्ल होगा इसके लिए भारत में अभी कोई तकनीकी नहीं है। ज्यादातर ऐसा कचरा लैंडफिल साइट्स और ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचता है। वहीं, इस समस्या के समाधान को लेकर कंपनियां कोई शोध और तकनीकी पर काम करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। ऐसे में सरकार को ही कोई रास्ता निकालना होगा।

टॉक्सिक लिंक के सहायक निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2019 को कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देंगे। हालांकि जमीन पर प्रतिबंध संबंधी कानूनों के अमल की स्थिति देखकर यह लक्ष्य आसान नहीं दिखाई दे राह है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कोई खाका नहीं खीचा है।